

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश कमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/08/805 दिनांक 9.2.09 के द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक की एपीएआर प्राप्त नही होने के कारण वरिष्ठ लिपिक के पद पर चयन कर एपीएआर प्राप्त होने की शर्त के आधार पर परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया था । अब इनकी संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने पर सीलबन्द लिफाफा खोला जाकर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभा के आधार पर वर्ष 2007-08 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है ।

क0सं0	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग
1	श्री महेश कुमार जैसवाल	21.3.71	सामान्य
2	श्री गोपाल सिंह	2.1.69	सामान्य
3	श्री मांगीलाल मेघवाल	10.5.67	अजा

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे तथा पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/1092

दिनांक:-2/6/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर